अध्याय–VII: व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा नियमितता, औचित्यता एवं मितव्ययता के मानकों के अनुपालन में विफलता के मामले उजागर हुए, जिनको अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है ।

युवा मामले एवं खेल विभाग

7.1 शूटिंग रेंज में स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली का क्रय

राजस्थान राज्य के जयपुर में एक शूटिंग रेंज थी और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों पर उन्नयन करने के लिए, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद (परिषद) ने वर्ष 2016 में स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली के क्रय का निर्णय लिया । मुख्यमंत्री के बजट घोषणा की अनुपालना में स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली के क्रय के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में ₹ 5 करोड़ का आवंटन किया था ।

वर्ष 2016 में, परिषद द्वारा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली की एकल स्त्रोत खरीद के लिए मैसर्स एसआईयूएस एजी स्विट्ज़रलैंड (फर्म) की पहचान की गई, क्योंकि यह फर्म भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) द्वारा अनुमोदित स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली की एकमात्र वितरक थी ।

फर्म द्वारा अपना प्रस्ताव अप्रैल 2016 में प्रस्तुत किया गया और 10 मीटर (16 सेट), 25 मीटर (5 सेट) और 50 मीटर (5 सेट) टारगेट वाले स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली, जिसकी कुल राशि सी एच एफ 2,59,004 (स्विस फ्रैंक में) थी (जो ₹ 1.80 करोड़[1] के समकक्ष है) की पेशकश की गई ।

मई 2016 में, भारत में फर्म के एजेंट (मैसर्स जैम इंटरनेशनल) के साथ वार्ता के बाद, कीमत को और घटाकर सी एच एफ 2,56,100 (₹ 1.72 करोड़[2]) कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में फर्म ने दावा किया कि यह केरल खेल परिषद को दी गई कीमत से कम थी । यद्यपि परिषद ने कोई आदेश नहीं दिया था ।

फर्म के साथ तीन बार (अगस्त 2016, फरवरी 2017 और जून 2017) वार्ता करने के बाद, अक्टूबर 2017 में, खेल मंत्री के साथ हुई फर्म की बैठक में इसकी कीमत भारतीय रूपये में

1 सी एच एफ 2,59,004* ₹ 69.5363 (दिनांक 06 अप्रैल 2016 को विनिमय दर) = ₹ 1.80 करोड़ ।
2 सी एच एफ 2,56,100* ₹ 67.3428 (दिनांक 27 मई 2016 को विनिमय दर) = ₹ 1.72 करोड़ ।

उद्धृत करने एवं अतिरिक्त शुल्क पर 2 वर्षों का निःशुल्क व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध तथा 5 वर्षों की वारंटी की पेशकश करने को कहा गया था। जिस पर फर्म ने सहमति जताई और ₹ 1.68 करोड़ उद्धृत की गई ।

फर्म को दिनांक 5 अप्रैल 2018 को 10 मीटर टारगेट के 16 सेट, 25 मीटर टारगेट के 5 सेट और 50 मीटर टारगेट के 5 सेट के लिए ₹ 1.88 करोड़ (जिसमें एकीकृत जीएसटी ₹ 0.20 करोड़ शामिल है) का आपूर्ति आदेश दिया गया । हालाँकि, परिषद की आयात क्रय प्रक्रिया में समझ की कमी के कारण एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद साख-पत्र[3] (एलसी) नहीं खोला जा सका । फर्म ने एक प्रारूप अनुबंध समझौता भेजा (सितंबर 2019), लेकिन परिषद ने इसे हस्ताक्षरित नहीं किया, क्योंकि यह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम 68)[4] में निर्धारित प्रारूप समझौते से भिन्न था, जो अप्रैल 2016 में फर्म को भेजे गए प्रारंभिक प्रस्ताव हेतु अनुरोध के साथ संलग्न था । बैंक बिना अनुबंध के एलसी नहीं खोल सके ।

तीन वर्षों के प्रयासों के बाद, 05 नवंबर 2019 को सम्पूर्ण क्रय प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया । लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्रय प्रक्रिया को रद्द करने के कारण, यथा फर्म द्वारा भेजा गया प्रारूप अनुबंध समझौता पूर्व में भेजे गए प्रारूप से भिन्न होना, स्वीकृति पत्र के 15 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होना, आरटीपीपी नियमों के नियम 40 का उल्लंघन करते हुए बोली मूल्यांकन में 3 वर्ष लगना और वार्ता के दौरान वास्तविक लागत, राज्य लोक उपापन पोर्टल (एसपीपी) में सूचित अनुमानित लागत से अधिक होना, आदि, स्वेच्छित थे, क्योंकि फर्म द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार समझौता तैयार किया गया था और इसके आगे, नियमों में यह वर्णित नहीं किया गया है कि यदि समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए ।

इस प्रकार, अप्रैल 2016 से लेकर नवंबर 2019 तक निविदा प्रक्रिया के रद्द होने में तीन वर्ष छह माह लगे । मई 2016 में पहले दौर की वार्ता के बाद, जब क्रय ₹ 1.72 करोड़ के लिए अंतिमीकृत की गई, तब फर्म के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए । इसके बजाय, आदेश देने से पहले फर्म के साथ अगले दो वर्षों में कई बार वार्ता की गई ।

नवंबर 2019 में निविदा रद्द होने के बाद, परिषद ने पुनः फर्म (मैसर्स जैम इंटरनेशनल, मैसर्स एसआईयूएस एजी स्विट्ज़रलैंड की भारतीय एजेंट) से अनुमान प्राप्त किये । फर्म ने फरवरी 2020 में ₹ 4.91 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत किया। अगस्त 2020 में, परिषद द्वारा एक नई

3 एलसी एक अनुबंध समझौते के आधार पर संचालित होती हैं, जो दोनों पक्षों के बीच एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। आपूर्ति आदेश एक विक्रेता को जारी किए गए औपचारिक प्रस्ताव हैं, जो कि सहमत हुई कीमत पर एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए सहमति को दर्शाते हैं ।

4 आरटीपीपी नियम अनुबंध समझौते के फॉर्म का उपयोग निर्दिष्ट करता है ।

क्रय प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया एवं मार्च 2021 में निविदा आमंत्रित की गई, लेकिन कोविड की लहर के कारण, बोली नहीं खोली जा सकी और सितंबर 2021 में निविदा पुनः रद्द कर दी गई।

सितंबर 2021 में, ₹ 4.97 करोड़ की अनुमानित लागत के लिए पुनः निविदा आमंत्रण सूचना (एन. आई. टी.) जारी की गई और जिसमें ₹ 5.84 करोड़ की बोली के साथ पुनः मैसर्स एसआईयूएस एजी स्विट्ज़रलैंड ही एकमात्र बोलीदाता रही। जनवरी 2022 में, फर्म के साथ वार्ता की गई, जिस पर ₹ 5.43 करोड़ का अंतिम प्रस्ताव दिया गया। मूल्यांकन समिति ने पाया कि यह मूल्य ₹ 4.97 करोड़ के अनुमानित मूल्य से बहुत अधिक था और जुलाई 2022 में निविदा को पुनः रद्द कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने समिति द्वारा किए गए इस मूल्यांकन को गलत पाया। फर्म द्वारा फरवरी 2020 में ₹ 4.91 करोड़ का अनुमान लगाया था, जब 1 सीएचएफ का मूल्य ₹ 74.00 था। बोली प्रस्तुत करने की तिथि (अक्टूबर 2021) पर इस अनुमान का मूल्य ₹ 5.50 करोड़ था, क्योंकि उस समय विनिमय दर 1 सीएचएफ = ₹ 82.92 थी। इस विनिमय दर पर, फर्म की बोली मूल्य ₹ 5.43 करोड़ थी, जो अनुमानित मूल्य से कम थी।

जनवरी 2023 में, परिषद द्वारा चौथी बार पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू की गई और 10 मीटर टारगेट के 31 सेट, 25 मीटर टारगेट के 10 सेट और 50 मीटर टारगेट के 10 सेट हेतु एन. आई. टी. जारी की गई। राजस्थान राइफल्स एसोसिएशन की मांग पर अप्रैल 2018 में जारी आपूर्ति आदेश की तुलना में मात्राओं में वृद्धि की गई थी। फरवरी 2023 में, फर्म मैसर्स जैम इंटरनेशनल को वार्ता में तय कीमत ₹ 5.34 करोड़ पर आपूर्ति आदेश जारी किया गया। फर्म द्वारा जुलाई 2023 में स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली स्थापित की गई। परन्तु, लेखापरीक्षा द्वारा सम्पन्न भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2023) में पाया गया कि 25 मीटर (10 सेट) और 50 मीटर (10 सेट) शूटिंग टारगेट में उपकरणों में सुरक्षा सुविधाएं स्थापित नहीं होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा था।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली का क्रय बहुत ही अकुशलता से किया गया था, क्योंकि परिषद द्वारा प्रत्येक चरण में निर्णय लेने में बहुत समय लिया गया। क्रय क्षमता की कमी के कारण क्रय प्रक्रिया में भी अत्यन्त कुप्रबंधन हुआ।

ये निरस्तीकरण और पुनः निविदाएं मनमाने ढंग से की गईं एवं इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, सिवाय इसके कि इससे समान प्रकार की वस्तुओं[5] की खरीद की लागत अप्रैल 2018 के ₹ 3.69 करोड़ से बढ़कर फरवरी 2023 में ₹ 5.34 करोड़ हो गई, जो ₹ 1.65 करोड़ अधिक थी।

5 10 मीटर लक्ष्य के 31 सेट, 25 मीटर लक्ष्य के 10 सेट और 50 मीटर लक्ष्यों के 10 सेट की लागत की गणना अप्रैल 2018 की प्रस्तावित कीमत के आधार पर की गई है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्रेता के साथ की गई कई दौर की वार्ताएं आरटीपीपी[6] नियमों के नियम 69(1), (2) और (5) का उल्लंघन थी, जो असाधारण स्थितियों, जैसे कि अव्यवहारिक रूप से अधिक मूल्य, को छोड़कर वार्ता पर प्रतिबंध लगाता है।

राज्य सरकार ने अपने प्रत्युत्तर (मार्च 2023) में तथ्यों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि लेखापरीक्षा द्वारा फरवरी 2023 में क्रय प्रक्रिया में कमियों को उजागर करने और सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के बाद राज्य सरकार द्वारा क्रय प्रक्रिया में तेजी लाई गई।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

7.2 विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकारी बकाया राशि की वसूली का अभाव

चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल, जयपुर ने कैंसर रोगियों की जाँच हेतु 'लीनियर एक्सेलरेटर मशीन' की स्थापना और संचालन करने के लिए मैसर्स इमेजिंग सुपर कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड (लाइसेंसधारी), जयपुर से एक अनुबंध निष्पादित किया (जुलाई, 2007)। एसएमएस अस्पताल द्वारा रोगियों को जाँच हेतु रैफर किया जाना था। इस मशीन का उपयोग करके लाइसेंसधारी द्वारा दस[7] प्रकार की जाँच की जानी थी। अनुबंध की अवधि मशीन के चालु होने/संचालन की दिनांक (अप्रैल 2009) से दस वर्ष थी।

---

6 नियम 69 (1) एकल स्त्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन की पद्धति के अलावा, जहाँ तक संभव हो, बोली पूर्व स्तर के पश्चात् कोई बातचीत नहीं की जायेगी। मांगे जाने वाले समस्त स्पष्टीकरण बोली-पूर्व अवस्था में ही मांगे जायेंगे।

(2) तथापि, बातचीत केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से निम्नलिखित परिस्थितयों में की जा सकेगीः-

(क) जब उपापन की विषय-वस्तु के लिए बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (रिंग प्राइस) उद्धृत की गयी हो; या

(ख) जब उद्धृत की गई दरों में बड़े पैमाने पर अंतर हो और प्रचलित ब्याज दरों से बहुत अधिक प्रतीत हो।

(5) बातचीत बोली लगाने वाले के द्वारा किये गए मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी। बोली मूल्यांकन समिति के पास मूल प्रस्ताव पर विचार करने का विकल्प होगा यदि बोली लगाने वाला मूल रूप से उद्धृत की गयी दरों में बढ़ोतरी करने का विनिश्चय करता है या कोई नवीन निबंधन या शर्तें अधिरोपित करता है।

7 दस प्रकारः कंप्यूटर उपचार आयोजना के साथ तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण थेरेपी (आईएमआरटी); 3 डी कनफर्मल रेडियोथेरेपी (3 डीसीआरटी); 3 डीटीपीएस पर पूर्ण जाँच आयोजन (3 डीटीपीएस); आरईसीटी/ स्टीरियोटैक्टिक प्रोस्टेट विकिरण थेरेपी (एसपीआरटी); सेटुक्सिमैब (सीईटी); स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी (एसआरएस); छवि-निर्देशित विकिरण थेरेपी (आईजीआरटी); स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी (एसआरटी); समवर्ती कीमो रेडियोथेरेपी (सीसीआरटी) और जटिल उपशामक जाँच (सीपीआरटी)।

अनुबंध के वाक्यांश 7 के अनुसार, लाइसेंसधारी द्वारा एकत्रित कुल राजस्व का 21.21 प्रतिशत हिस्सा प्रति माह राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी (आरएमआरएस) को भुगतान किया जाएगा । वाक्यांश 8 के अनुसार, लाइसेंसधारी एसएमएस अस्पताल द्वारा रैफर किये गए प्रकरणों में से 20 प्रतिशत तक प्रकरणों का आरएमआरएस योजना के अंतर्गत निःशुल्क[8] जांच करेगा ।

प्रत्येक उपचार के लिए प्रतिशत की गणना अलग से की जाएगी । यदि निःशुल्क प्रकरणों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक रहती है, तो आरएमआरएस अधिक प्रकरणों का भुगतान करेगा और यदि निःशुल्क प्रकरण अनिवार्य 20 प्रतिशत से कम रहते हैं, तो लाइसेंसधारी कमी के लिए प्रत्येक छह माह में आरएमआरएस को धन राशि वापिस करेगा ।

अप्रैल 2013 और जनवरी 2019 के दौरान लाइसेंसधारी ने अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा रैफर किये गए 9,384 प्रकरणों की जांच की । इनमें से, केवल 1,474 प्रकरणों (15.70 प्रतिशत) को अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा निःशुल्क मामलों के रूप में रैफर किया गया था । चूंकि यह 20 प्रतिशत से कम प्रकरण थे, इसलिए लाइसेंसधारी को 402 निःशुल्क प्रकरणों की कमी के लिए आरएमआरएस को ₹1.47 करोड़[9] का भुगतान करना था (विवरण **परिशिष्ट 7.1** में दिया गया है) । हालाँकि, लाइसेंसधारी भुगतान करने में विफल रहा (अगस्त 2022) । इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारी द्वारा फरवरी 2019 से अप्रैल 2019 की अवधि के दौरान की गई जाँचों का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निःशुल्क प्रकरणों में कमी अप्रैल 2013 के पश्चात हुई है । हालांकि, आरएमआरएस ने जून 2018 और अगस्त 2019 में लाइसेंसधारी को निःशुल्क प्रकरणों की कमी के लिए नोटिस जारी किए । यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह प्रकरण पूर्व में सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य और सामाजिक क्षेत्र) 2013-14, राजस्थान सरकार में उठाया गया था, जिस पर जन लेखा समिति ने विभाग को लाइसेंसधारी से बकाया राशि की वसूली करने हेतु निर्देशित किया था। यद्यपि, विभाग ने जन लेखा समिति के अनुदेशों पर

8 आरएमआरएस बीपीएल, लावारिस, विधवा, एचआईवी पॉजिटिव, आस्था कार्ड धारक, सहरिया जाति, कैदियों, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है ।

9 आईएमआरटी के 117 मामलों में कमीः ₹1.17 करोड़; 3डीसीआरटी के 65 मामलेः ₹16.25 लाख; सीईटी के 4 मामलेः ₹0.60 लाखः सीपीआरटी के 9 मामलेः ₹0.68 लाख; 3डीटीपीएस के 217 मामलेः ₹10.85 लाख; आईजीआरटी का 1 मामलाः ₹1.10 लाख; एसआरटी का 1 मामलाः ₹0.75 लाख; सीसीआरटी का 1 मामलाः ₹0.23 लाख; आरईसीटी/एसपीआरटी के 13 मामलों के लिए अधिक ₹0.65 लाख। कुल 402 मामलेः ₹1.47 करोड़ ।

प्रतिवेदन में उल्लिखित बकाया राशि की वसूली/समायोजन किया, तथापि, वह त्रुटि की पुनरावृत्ति को रोकने में विफल रहा।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध के वाक्यांश 7 के अनुसार, लाइसेंसधारी को मासिक आधार पर आरएमआरएस को कुल राजस्व का 21.21 प्रतिशत भुगतान करना था। अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि लाइसेंसधारी ने अप्रैल 2013 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान ₹19.44 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित किया। अनुबंध के अनुसार, लाइसेंसधारी को टीडीएस और निर्धारित जाँचें न किए जाने के कारण रिफंड की कटौती करने के बाद, ₹ 3.63 करोड़ का भुगतान करना अपेक्षित था। तथापि, लाइसेंसधारी ने आरएमआरएस को केवल ₹ 2.62 करोड़ का भुगतान किया था। लाइसेंसधारी को शेष ₹ 1.01 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाना था। आगे, आरएमआरएस ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (बीएसबीवाई) के अंतर्गत किए गए उपचारों के लिए फर्म को देय ₹ 1.08 करोड़ की राशि के विरुद्ध लेखापरीक्षा द्वारा सीएजी के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई राशि ₹ 84.80 लाख की वसूली को समायोजित किया। इस प्रकार, बीएसबीवाई के अंतर्गत लाइसेंसधारी को देय ₹ 23.50 लाख के शेष राजस्व को समायोजित करने के बाद, 21.21 प्रतिशत हिस्से की बकाया राशि ₹ 0.77 करोड़ थी (विवरण **परिशिष्ट 7.2** में दिया गया है)। आगे यह पाया गया कि लाइसेंसधारी ने रोगियों से नियमित प्राप्तियों के बावजूद मई 2016 से दिसंबर 2017 तक 20 माह में आरएमआरएस को किसी राशि का भुगतान नहीं किया। हालांकि, आरएमआरएस ने इस संबंध में लाइसेंसधारी को अक्टूबर 2017 से ही नोटिस जारी किए।

ये उदाहरण विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों की कमजोर निगरानी को दर्शाते हैं। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का विलंब से संज्ञान लेने के बाद भी विभाग ने संविदा को समाप्त करने के लिए अनुबंध के वाक्यांश 9 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के स्थान पर लाइसेंसधारी को राजस्व एकत्रित करने की अनुमति जारी रखी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2022) अवगत कराया कि फर्म से राशि ₹ 2.24 करोड़ [10] वसूल किये जाने हैं और बकाया राशि की वसूली के लिए फर्म को जून 2022 में नोटिस जारी किया गया है। चिकित्सा अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल ने अवगत करवाया (03 जून 2024) कि फर्म की ₹ 11.17 लाख की प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर आरएमआरएस, जयपुर के खाते में जमा कर दी गई है (जून 2023)। बकाया राशि ₹ 2.13 करोड़ की राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

10 निःशुल्क मामलों की कमी के बदले ₹ 1.47 करोड़ तथा अनुबंध के अनुसार राजस्व का हिस्सा ₹ 0.77 करोड़।

इस प्रकार, अप्रैल 2013 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान, विभाग अनुबंध की शर्तों के अनुसार लाइसेंसधारी से कुल ₹ 2.13 करोड़ की बकाया देय राशि वसूल करने में विफल रहा। साथ ही, राजस्थान सरकार, लाइसेंसधारी द्वारा फरवरी 2019 से अप्रैल 2019 की अवधि के दौरान किए गए जाँचों का विवरण भी प्राप्त नहीं कर सकी । उदासीन दृष्टिकोण, कमजोर निगरानी और यथासमय एवं आवश्यक कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हो सकी तथा लाइसेंसधारी को अनुचित मौद्रिक लाभ हुआ।

(सतीश कुमार गर्ग)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)
राजस्थान

जयपुर,
दिनांक 21 अप्रैल, 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
दिनांक 30 अप्रैल, 2025